/

[2022] 7 एस. सी. आर. 483

/

नंदा दुल्लाल प्रधान और एक अन्य बनाम

दिबाकर प्रधान औरएक अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 4151) 11 जुलाई, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश IX नियम ।13 – एकतरफा डिक्री को दरकिनार करते हुए-लिखित बयान के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या को अनुज्ञात ।2 और 3 उनके खिलाफ एकतरफा निर्णय अपास्त करते हुए के अलावा सबूत पेश करने के लिए-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी उनके द्वारा दायर लिखित बयान के अभाव में सबूत का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और परिणामस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर सकते हैं-अभिनिर्धारित किया गयाःसंग्राम सिंह के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने और मुकदमे की बहाली पर मुकदमे के पक्षों को उसी स्थिति में रखा जाएगा जब वे उस समय थे जब एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति पारित की गई थी और प्रतिवादियों को लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था-हालाँकि, साथ ही उन्हें मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है-इस मामले को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और अपास्त किया जाता है।संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425

/

/

/

/

:[1955] एस**.** सी**.** आर**. 1-**पर निर्भर।

अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार ए**.** आई**.** आर**. 1964** एससी **993:**

[1964] एस**.** सी**.** आर**. 946-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1955] एससीआर **1**

पर विश्वास किया

पैरा **3**

[1964] एससीआर **946**

संदर्भित

पैरा **3**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील संख्या 4151/2022।

/

483 ए.

/

/

[2022] 7 एस सी आर।

2018 के सी. एम. पी. सं. 324 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सिबो शंकर मिश्रा, राजेश कुमार नायक, निरंजन साहू, वी. के. मिश्रा, अधिवक्तागण । अपीलार्थियों के लिए।

गौतम दास, मनोज कुमार, बिनोद कुमार, धीरेंद्र कु। झा, तरुण कांत सामंत्रे, अब्दुर कुमार जेना, अधिवक्तागण ।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. सी. एम. पी. 324/2018 में उड़ीसा के उच्च न्यायालय,कटक द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 16.05.2018 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी उनके द्वारा दायर लिखित बयान के अभाव में साक्ष्य नहीं दे सकते हैं और परिणामस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया हैं, जिसने यहाँ अपीलकर्ताओं -मूल प्रतिवादी सं 2 और 3 को एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त

करने के अलावा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिएअनुमति दी थी, से व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रतिवादी सं 2 और 3 ने वर्तमान अपील दायर की।

/

/

2. कि प्रत्यर्थी नं।1 इसमें-मूल वादी ने विद्वत सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय में घोषणा और शीर्षक के लिए मुकदमा दायर किया, जलेश्वर 2003 का टी. एस. No.317 है। अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी सं . 2 और 3 ने वाद में अभियोग आवेदन दायर किया जिसकी अनुमति दी गई थी।कि इसके बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 10 के तहत आवेदन की अनुमति 20.02.2004 पर दी गई थी।विद्वत विचारण न्यायालय ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए अगली तारीख 27.02.2004 निर्धारित की।यहाँ अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी सं 2 और 3 (इसके बाद "मूल प्रतिवादी सं 2 और 3 के रूप में संदर्भित। ") ने विभिन्न तिथियों पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा।हालांकि, वे कई अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहे।मूल प्रतिवादी सं 2 और 3 वभिन्न सुनवाई तारीखों को भी अनुपस्थित रहे।इसलिए, न तो उन्होंने मुकदमे में लिखित बयान दायर किया और न ही वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुए।इसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति दिनांक 31.08.2004 पारित की।उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए आवेदन दायर किया।विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को दरकिनार करने से इनकार कर दिया।इसलिए प्रतिवादी एनओएस। 2 और 3 ए

/

/

/

/

/

नंदा दुल्लाल प्रधान और एक अन्य बनामदिबाकर प्रधान और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय ने विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए करने के आवेदन को खारिज करते हुए उक्त

अपील को अनुज्ञात कर लिया।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों को अपने संबंधित साक्ष्य और खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद मुकदमा दायर करने और उसके बाद मुकदमे का निपटारा करने के लिए एक आदेश भी पारित किया।अपील की अनुमति देने और एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित और पक्षकारों को अपने-अपने साक्ष्य और खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले को विधि अनुसार नए सिरे से निपटाने का निर्देश देते हुए, आदेश से व्यथित और असंतुष्ट मूल वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्षव र्तमान याचिका दायर की।अपेक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किए बिना और/या कुछ भी देखे बिना कि क्या एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए पर्याप्त कारण था, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया है कि प्रतिवादी सं 2 और 3 की ओर से कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था, वाद में फिर सेसुनवाई व्यर्थ हो जाएगी ।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया।2.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट मूल प्रतिवादी सं 2 और 3 ने वर्तमान अपील दायर की है।

/

/

/

/

3. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए पारित आदेश पर विचार करने और यह देखने के बाद कि मुकदमे की बहाली पर पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य और खंडन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद इसका निपटारा किया जाए, यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप था।

/

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण**,** ए**.** आई**.** आर**. 1955** एस**.** सी**. 425** और अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार**,** ए**.** आई**.** आर**. 1964** एस**.** सी**. 993** के मामले में।

/

3. 1 इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करते हुए विशिष्ट निष्कर्ष दिए कि एक एकपक्षीय

निर्णय और आज्ञप्ति को दरकिनार करने के लिए प्रतिवादी सं.2 और 3 के पास पर्याप्त कारण है। लेकिन

/

486

/

[2022] 7 एस सी आर।

आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और उन पर विचार नहीं किया।उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी सं 2 और 3 ने लिखित बयान दायर नहीं किया और वाद का विरोध किया, वाद को फिर से खोलना व्यर्थ हो जाएगा।हालाँकि, जैसा कि इस द्वारा देखा और आयोजित किया गया है

/

संग्राम सिंह (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय अपास्त करते हुए -

पक्षीय डिक्री और वाद की बहाली पर वाद के पक्षों को उसी स्थिति में रखा जाएगा जब वे उस समय थे जब एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित की गई थी और प्रतिवादियों को लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था।हालांकि, साथ ही उन्हें वाद की कार्यवाही में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है।इस मामले के दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अपोषणीय है।फिर भी, एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करने पर, हालांकि जिन प्रतिवादियों ने लिखित बयान दायर नहीं किया था, उन्हें वाद में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है।इसलिए, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं है कि चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था, इसलिए एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करके मुकदमे को फिर से खोलना व्यर्थ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक एकपक्षीय निर्णय गुण-दोष के आधार पर आज्ञप्ति को अपास्त करते हुए पारित आदेश की शुद्धता को नहीं परखा है।

/

/

/

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक एकपक्षीय निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करते हुए पारित आदेश और वाद को बहाल करने का आदेश एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।हालाँकि, यह देखा गया है कि वाद के प्रत्यावर्तन पर, प्रतिवादी सं. 2 और 3 को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि पहले कई अवसर दिए गए थे, उन्होंने लिखित बयान दाखिल नहीं किया था। हालाँकि, साथ ही उन्हें वाद में भाग लेने और गवाहों से जिरह करने और गुण-दोष के आधार पर दलील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।वर्तमान अपील की आंशिक रूप से उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात ।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

अंकित ज्ञान

आंशिक रूप से अनुज्ञात।

/

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)